उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी एक्ट वाद संख्या – 08/2018
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम् अरबिन्द प्रसाद

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
06-09-2019	**– आदेश –** अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत प्रदाधिकारी, कृते ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, वसूली एवं विधि क्लस्टर, राँची द्वारा सेक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनन्सियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत् ऋणकर्ता अरबिन्द प्रसाद पिता राजगिर प्रसाद, निवास स्थान ग्राम– अरगड्डा, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गये सम्पति/भूमि मौजा–पतरातू, थाना नं0–84, थाना–रामगढ़, खाता नं0–20 हाल खाता नं0–20/4, प्लौट नं0–51, खेवट नं0–01, तोजी नं0–28, वार्ड नं0–06, रकबा–13 डिसमील एवं उस पर निर्मित संरचना पर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु दायर आवेदन के आलोक में वाद कार्रवाई प्रारंभ करते हुए, अंचल अधिकारी, रामगढ़ से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। ऋणकर्ता अरबिन्द प्रसाद पिता राजगिर प्रसाद, अपनी सम्पति/भूमि एवं उस पर निर्मित संरचना को गिरवी रखते हुए बैंक से ऋण लिया है, जिसे अबतक नही चुकाया गया है और अनियमितता बरती गई है। बैंक द्वारा ऋणकर्ता के खाते को एन.पी.ए. करते हुए, सरफेसी एक्ट–2002 की धारा 14 में निहित प्रावधान के तहत प्रश्नगत सम्पति/भूमि एवं उस पर निर्मित संरचना पर दखल कब्जा दिलाने हेतु अनुरोध किया है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत् भूमि सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है, जिसकी जमाबन्दी नामान्तरण वाद सं0–1527/2004–05 के द्वारा राजस्व पंजी–II के पृ0–159, भॉलूम–4 पर अरबिन्द प्रसाद, अजय प्रसाद, संजय प्रसाद पिता राजगीर प्रसाद के नाम से दर्ज हैं।	

बैंक द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणकर्त्ता के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई पहल नही किया गया है, जबकि बैंक द्वारा पूर्व में ही Recall Notice Under section 13(2) of the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 के तहत् ऋणकर्त्ता को किया गया है। Bombay High Court Judgment in case of M/s Trade well & Others V/s Indian Bank in Cr WP No.-2767 of 2006 clearly lays down as follows :- "In our opinion, at the time of passing order under section 14 of the NPA At, the CMM/DM will have to consider only two aspects, He must find out whether the secured asset falls within his territorial jurisdiction and whether notice under section 13(2) of NPA Act is given or not, No adjudication of any Kind is contemplated at that stage."

ऋणकर्त्ता द्वारा नोटिस प्राप्ति के उपरान्त ऋण की राशि चुकाने के संदर्भ में कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। अतः सरफेसी एक्ट–2002 की धारा 14(1 एवं 2) में निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, कृते ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, वसूली एवं विधि क्लस्टर, राँची के द्वारा किये गये अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि एवं उस पर निर्मित संरचना (मौजा–पतरातू, थाना नं0–84, थाना–रामगढ़, खाता नं0–20 हाल खाता नं0–20/4, प्लॉट नं0–51, खेवट नं0–01, तोजी नं0–28, वार्ड नं0–06, रकबा– 13 डिसमील) को जब्त कर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित बैंक को अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त कार्रवाई के क्रम में विधि–व्यवस्था संधारन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

789/विधि
31/10/19

लेखापित एवं संशोधित

06/09/19
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

06/09/19
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।